19519 वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण में राजीनामा होने पर उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बाद बादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त अन्तिम डिक्री जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 217/2019 अनवान रोमित बनाम रजीराम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 217/2019

1 रोमित पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 गोरांग पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 रजीराम पि.मु. मोतीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 19-03-2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के पिता प्रतिवादी के नाम से वाके चक नम्बर 6 एम.डबल्यू.एम (बी) खाता संख्या 43/34 मे 1.771 हैक्टर व चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 मे 8.904 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबंदी वाके चक 6 एम.डबल्यू.एम. (बी) खाता संख्या 43/34 सम्वत 2074–77 चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 सम्वत 2073–2076 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि पूर्व मे हम वादीगण के दादा स्व. मोतीराम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन हम वादीगण के पिता प्रतिवादी रजीराम पर औद हुई उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे हम वादीगण व प्रतिवादी को बर्थ राईट हासिल है चूंकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति क अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है

मुताबिक घरू बंटवारा पारीवारिक समझौता हम वादीगण व प्रतिवादी को वाके चक 6 एम.डबल्यू.एम. बी खाता संख्या 43/34 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल 1.771 हैक्टर व वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता सख्या 39/27 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज 8.904 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही हम वादीगण व प्रतिवादी अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड में समस्त भूमि प्रतिवादी के नाम अंकित होने के कारण हम वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अतः वादीगण घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादीगण व प्रतिवादी वाके चक 6 एम.डबल्यू.एम. (बी) खाता संख्या 43/34 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल 1.771 हैक्टर व वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज 8.904 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

वादीगण ने प्रतिवादी से इस बाबत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे बाद मे आज से 10 रोज पूर्व मुकाम जोसवरपुरा मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण व प्रतिवादी वाके चक 6 एम.डबल्यू.एम. (बी) खाता संख्या 43/34 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज कल 1.771 हैक्टर व वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता सख्या 39/27 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज 8.904 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 11.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी के नाम से वाके चक नम्बर 6 एम.डबल्यू.एम. (बी) खाता संख्या 43/34 में 1.771 हैक्टर व चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 मे 8.904 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा स्व. मोतीराम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन हम वादीगण के पिता प्रतिवादी रजीराम पर औद हुई उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमें हम वादीगण व प्रतिवादी को बर्थ राईट हांसिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा पारीवारिक समझौता हम वादीगण व प्रतिवादी को वाके चक 6 एम.डबल्यू.एम. (बी) खाता संख्या 43/34 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल 1.771 हैक्टर व वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज 8.904 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के प्राप्त हई है। घरू बंटवारा के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादी अपने घरू बंटवार में प्राप्त अपने ही हिस्सा की भमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। मुताबिक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी वाके चक 6 एम.डबल्यू.एम. (बी) खाता संख्या 43/34 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल 1.771 हैक्टर व वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39 मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे तो हम सहमत है। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिकी फरमाया जावे तो हमे कोई आपति एतराज नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये किये गये।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी रामझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

इमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 रजीराम के नाम चक नम्बर 6 एम.डबल्यू.एम (बी) खाता संख्या 43/34 मे 1.771 हैक्टर व चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 मे 8.904 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 4

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 217/2019 अनवान रोमित बनाम रजीराम)

4

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 रजीराम के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 6 एम. डबल्यू.एम (बी) खाता संख्या 43/34 मे 1.771 हैक्टर व चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 मे 8.904 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"रजीराम पि.मु. मोतीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"रोमित पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा, गोरांग पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन बीकानेर तथा रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा बहिस्सा बराबर खातेदार"** घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 17-09-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 217/2019

1 रोमित पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गोरांग पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
– – **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1 रजीराम पि.मु. मोतीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 19.03.2019

वादीगण की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 19.03.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 रजीराम के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 6 एम. डबल्यू.एम (बी) खाता संख्या 43/34 मे 1.771 हैक्टर व चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 39/27 मे 8.904 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"रजीराम पि.मु. मोतीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"रोमित पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा, गोरांग पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन बीकानेर तथा रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा बहिस्सा बराबर खातेदार"** घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 19.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता			

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 16:15:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: